अपील/ एलआर/4041 / 2004/ जिला हनुमानगढ
सरकार बनाम श्यामसुन्दर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
09–7–2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री एस.एन.बेनीवाल, अति0 राजकीय अभिभाषक श्री पुष्पेन्द्र नरूका अभिभाषक रेस्पोडेंट्स **निर्णय** 1. हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1–3–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2. अपील ज्ञापन के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक धेउ में स्थित आराजी खसरा नंबर 490 में से 7 बीघा भूमि का अप्रार्थी को आवंटन प्रभारी अधिकारी/सहायक कलेक्टर भादरा द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में आदेश दिनांक 7–1–02 द्वारा किया गया। उपरोक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11/14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत अपर जिला कलेक्टर नोहर के यहां प्रस्तुत किया। जिसे अपर जिला कलेक्टर नोहर ने अपने आदेश दिनांक 11–11–02 के द्वारा रेस्पोडेंट का आवंटन निरस्त कर विवादित आराजी को राजकीय भूमि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेंट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ ने उभय पक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 1–3–04 से अपील स्वीकार कर ली। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अति0 राजकीय अभिभाषक ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि रेस्पोडेंट को विवादित आराजी का आवंटन प्रशासन गांवों के संग अभियान में किया गया था तथा आवंटन करने के पूर्व आवंटन के नियमों की पालना नहीं की गई थी। विवादित आराजी गैर मुमकिन जोहड पायतन की भूमि है तथा उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान के तहत आवंटन अथवा नियमन नहीं की जा सकती। रेस्पोडेंट ने आवंटन तथ्यों को छिपाकर करवाया है। उसके पिता के खाते में पूर्व में 12 बीघा 5 बिस्वा भूमि दर्ज होना पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में अपर जिला कलेक्टर ने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विवादित आराजी 7 बीघा का आवंटन विधि अनुसार निरस्त किया था। किंतु अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये आलोच्य निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की जावे। 4. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट्स का कथन है कि रेस्पोडेंट को विवादित आराजी का आवंटन नियमों के अनुसार प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान किया गया है। प्रशासन गांवों के संग अभियान के दोरान उपखंड अधिकारी नोहर ने दिनांक 10–9–01 को अधिसूचना जारी की थी। ग्राम धेउ भाखडा परियोजना क्षेत्र के लिये अधिसूचित हो चुका था। अधिसूचना दिनांक 10–9–01 के अनुसार जोहड पायतन का आवंटन हो सकता है। अधिसूचना दिनांक 28–4–01 के अनुसार जोहड पायतन की भूमि का आरक्षित कीमत का चार गुणा में आवंटित किया जा सकता है। उक्त प्रावधानों के अनुसार विवादित आराजी का आवंटन रेस्पोडेंट को किया गया। जिसकी कीमत खजाना राज जमा करा दी गई है तथा विवादित आराजी उसके खाते में गैरखातेदारी में दर्ज की जा चुकी है। तहसीलदार भादरा द्वारा रेस्पोडेंट का आवंटन का प्रार्थना पत्र सही मानते हुये आवंटन अधिकारी को प्रेषित किया था जिसके विरूद्ध धारा 11/14 का प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल नहीं थीी। अति0 जिला कलेक्टर नोहर ने तहसीलदार भादरा से कोई रिपोर्ट नहीं ली। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय ने विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुये रेस्पोडेंट की अपील स्वीकार करते हुये आलोच्य निर्णय पारित किया हैं, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। 5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। **6.** पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि चक धेउ में स्थित आराजी खसरा नंबर 490 में से 7 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को आवंटन प्रभारी अधिकारी/सहायक कलेक्टर भादरा द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में आदेश दिनांक 7–1–02 द्वारा किया गया। जिसे अपीलांट के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11/14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत अपर जिला कलेक्टर नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 11–11–02 के द्वारा निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ ने उभय पक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 1–3–04 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपर जिला कलेक्टर नोहर द्वारा रेस्पोडेंट को ग्राम घेऊ के खसरा नंबर 490 की 7 बीघा भूमि का` आवंटन निरस्त करने का आधार यह लिया गया है कि विवादित आराजी गैर मुमकिन जोहड पायतन की भूमि है। धारित भूमि का कोई विवरण आवेदन पत्र में अंकित	

नही किया है। न सत्यापन है, न ही तहसीलदार की विस्तृत जांच है। आवेदन पत्र अपूर्ण है। अपर जिला कलेक्टर नोहर ने विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुये अप्रार्थी का आवंटन निरस्त करने के निम्नलिखित आधार अंकित किये हैः—

(1) प्रशासन गाँवो के संग अभियान में ग्रामपंचायत मुख्यालय पर निर्धारित तिथि पर शिविर आयोजित किये गये। ग्राम पंचायत घेऊ पर शिविर 21.12.01 को संपन्न हुआ। अप्रार्थी को आवंटन 7—1—02 को किया गया है। इससे स्पष्ट है कि आवंटन ग्रामपंचायत मुख्यालय पर आयोजित शिविर के पश्चात किया गया।

(2) आवेदन पत्र अपूर्ण है। भूमि का न तो स्पष्ट विवरण दिया है न ही पूर्ण जाँच की गयी है।

(3) उक्त ग्राम उपनिवेशन क्षेत्र अधिसूचित है। मौके पर नहर निर्माण हो चुका है। ऐसी दशा में चकबन्दी से पूर्व बारानी के रूप में भूमि आवंटन राज्य सरकार की नीति के विरुद्ध है। उपनिवेशन विभाग राजस्थान सरकार ने 15.1.87 से प्रथम चरण की भूमि के सामान्य आवंटन पर प्रतिबन्ध लगा रखा है।

(4) राजस्थान उपनिवेशन (भाखडा परियोजना क्षेत्र में कृषि भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 में निर्धारित प्रक्रिया की पालना नहीं की गयी है।

7. अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर ने उपरोक्तानुसार विस्तृत विवेचन करते हुये रेस्पोडेंट को विवादित आराजी का किया गया आवंटन निरस्त करते हुये तहसीलदार राजस्व भादरा को कब्जा बहक सरकार लेने का आदेश पारित किया। अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये रेस्पोडेंट को किया गया आवंटन नियमों के अनुसार किया जाना तथा आवंटी द्वारा किसी भी तथ्य को छिपाना नहीं मानते हुये अपीलार्थी द्वारा ठोस साक्ष्यों से तथ्यों को प्रमाणित नहीं किये जाने के बावजूद सरसरी तौर पर उपखंड अधिकारी द्वारा किया गया आवंटन सही मानते हुये अति0 जिला कलेक्टर नोहर का निर्णय दिनांक 11—11—02 को निरस्त किया है, जिसे न्यायोचित नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा अति0 जिला कलक्टर, नोहर जिला हनुमानगढ़ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने में स्पष्ट तात्विक त्रुटि कारित की है, जो समर्थन योग्य नहीं होकर निरस्त योग्य है। अतः हस्तगत अपील स्वीकार योग्य होकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

8. परिणामतः हस्तगत अपील को स्वीकार किया जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 1—3—04 निरस्त किया जाता है तथा न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर नोहर हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11—11—02 विधिसम्मत् होने से बहाल रखा जाता है। पत्रावली बाद फैसल शुमार, दाखिल दफतर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य